

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

क्रमांक ४३५/स्था.वि./न.पा.नि./2018

रायगढ़ दिनांक ०७/०३/१८

// संशोधित आदेश //

छ०ग० शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 97 दिनांक 07.06.2011 के तहत नगर पालिक निगम रायपुर एवं रायगढ़ की सीमा में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायतों में पूर्व से कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों को अवर सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्रमांक 1-42/2009/18, नया रायपुर दिनांक 28.09.2013 के द्वारा जारी नियम व शर्तों के अधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की गयी है।

छ०ग० शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक 1-42/2009/18, नया रायपुर दिनांक 10.04.2015 के परिपालन में नगर पालिक निगम, रायगढ़ के जारी आदेश क्रमांक 11/स्था.वि./न.पा.नि./2015 रायगढ़ दिनांक

21.04.2015 के अनुसार सरल क्र. (5) पर श्री निरंजन गुप्ता को सहा.राजस्व उप-निरीक्षक के पद पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 1900/- पर संविलियन किया गया है।

अवर सचिव छ०ग० शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक 1-42/2009/18, नया रायपुर दिनांक 27.04.2016 द्वारा जारी आदेश का परिपालन में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 11/स्था.वि./2015 रायगढ़ दिनांक 21.04.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए नगर पालिक निगम रायगढ़ में ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करने के दिनांक अर्थात् दिनांक 07.06.2011 से श्री निरंजन गुप्ता को सहा.राजस्व उप-निरीक्षक के पद पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 1900/- एवं शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर संविलियन किया जाता है।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र. ४३५/स्था.वि./न.पा.नि./2018
प्रतिलिपि :-

रायगढ़, दिनांक ०७/०३/१८

1. अवर सचिव छ०ग० शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, बिलासपुर को सूचनार्थ।
4. मा.महापौर/सभापति/नेताप्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
5. समस्त विभाग, नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
6. श्री, नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
7. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम रायगढ़ के वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)